79

संख्या– 13 /VII-1/61–ख/2014

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग विभाग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 8 **मार्च, 2017**

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान सं० 23 के अन्तर्गत मुख्य लेखाशीर्षक–2853 अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में प्रथम अनुपूरक अनुदान की मांग के माध्यम से प्रावधानित धनराशि के अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–1987/लेखा/बजट/आयोजनेत्तर/2016–17 दिनांक 23 जनवरी, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016–2017 में अनुदान सं० 23 के अन्तर्गत मुख्य लेखाशीर्षक–2853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष की "खनन प्रशासन का अधिष्ठान" योजनान्तर्गत प्रथम अनुपूरक अनुदान की मांग के माध्यम से प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष **रू 1000 हजार (रू दस लाख मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर निम्न विवरणानुसार प्रदिष्ट किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :–

(धनराशि रू हजार में)

1.	**2853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग–02–खानों तथा विनियमन तथा विकास–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–खनन प्रशासन का अधिष्ठान**	**स्वीकृत धनराशि**
	16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1000
	कुल योग	**1000**

(1) धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फांट कर उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(2) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार मासिक रूप से आहरण किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।

(4) धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिकों के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें धनराशि व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या संबंधित इकाई में समकक्ष स्तर से स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा शासन की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।

2–

(6) शासन के मितव्ययता संबंधी समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–23 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग–00–आयोजनेत्तर–02–खानों का विनियमन तथा विकास–001–निदेशन तथा प्रशासन (लघुशीर्षक 003 के स्थान पर)–03–खनन प्रशासन का अधिष्ठान की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1188/XXVII-2/2016 दिनांक 03 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव

संख्या– 13 (1)/VII-1/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
6. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव